VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 21 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 30 September, 2013

Country Heading Towards Illiteracy

Dr. Udit Raj

Whatever happens in America and Europe becomes our ideal and is considered fit for implementation. In most of the cases, we follow those policies which are anti-people. Despite the fact that all these countries are capitalist, most of their policies , in many cases, are better than the so-called policies of social justice and welfare of our Government. During this year, 4-year undergraduate programme was introduced in Delhi University on the American pattern. The fundamental Right to Education (RTE) was introduced in April 2010 with the clear objective that it will lead to education for all. Government schools are being privatized rapidly on the PPP pattern. Instead of improving the quality of education in Government schools, these are being handed over to the private sector. It is essential to evaluate the outcome of these policies in the present and in the long run.

Ever since education at the primary level and then up to class VIII level has been made compulsory, there has been a tremendous increase in privatization of education. It is no exaggeration to say that RTE has proved a significant catalyst for privatization of education. In a historical judgement on 12.4.2012, the Supreme Court said that 25% of the seats in private schools will have to be reserved for students belonging to weaker sections. It may be mentioned here that the expenditure pertaining to the fees of these students will have to be borne by the Government. Those private schools which are already minting huge money will not be affected much by this judgement. On the other hand, with a view to avail the benefit of the fees for 25% of seats to be reserved for weaker sections, schools with low quality of education and poor infrastructure are mush-rooming on a large scale. When no country in the world has achieved the goal of universal education by seeking the cooperation of the private sector, it is not understood as to how we can make it possible to happen in our country. After the introduction of the law relating to Right to Education, the Government seems to have nearly ignored its duty to improve the quality of education in government schools. The biggest flaw in this law is that it talks of universal education up to class VIII whereas in Europe and America, it is up to class XII.

Germany is a capitalist country but no fees are charged from Primary to Ph.D. students. People are surprised when anybody talks of private schools but they have never seen a private school. In France also, education is fee. Finland has made maximum progress in the field of education. In a span of thirty years, any education in the private sector, from Primary to Ph.D. level, was nationalized. The position in our country is just the reverse where all-out efforts are being made to ensure privatization and commercialization of education. For the last twenty years, deliberate attempts are being made to downgrade the quality of education in Government schools and we can come across any number of examples to prove that the poor, rural people, Dalits, Adivasis and Backwards are being deprived of education. Delhi Government handed over the management of some of its schools to certain voluntary organizations and the net result was that the standard of education went down and there was an additional financial burden on the students. An NGO, Lok Shikshak Manch, has prepared an extensive report and proved this point.

The faster the pace of privatization of education, the greater will be the number of people being deprived of education. The Karnataka Government has passed orders for the closure of 12000 govt. schools. After the introduction of the Right to Education, Govt. schools and other government institutions have closed more rapidly. Earlier, the Karnataka Government had closed 3000 schools but now this figure has reached 12000. The Andhra Pradesh Government had earlier closed 6000 government schools and now another 1165 schools have been closed. During this year, the Mumbai Municipal Corporation has converted 1174 Municipal schools into PPP pattern and in Uttarkhand, 2200 government schools have been closed. Industrialists like Azim Premji have decided to enter into this field and in this background, it would be nothing short of corporatisation of education. If groups like Reliance and Premji acquire educational institutions in public and private partnership, how they will not make profit? 92% of the SC school students drop out by the time they reach class XII. Similarly, 94% ST students, 91% minority students and 90% backward students drop out by the time they reach class XII. People who are ready to shell out more money will get a bigger share in the PPP model of educational institutions. It is quite evident that instead of improving the quality of education in PPP model of education institutions, they will do their best to work for the privatization of these institutions so that they may straightaway purchase them with a view to grab costly buildings and land. In this model, there is no provision for the training of teachers and the managements have been given the option of having their own teachers. Ever since the Right to Education has been introduced, Government has been spending nearly Rs. 5000 crore annually in the form of fees to the private sector schools. There are approximately 785 Engineering colleges in Andhra Pradesh and about Rs. 4500 crore are spent every year in the form of fees in these Engineering, MBA, MCA and Medical Colleges. This works out to 4% of the State budget. Total budget of education is about Rs. 10,000 crore. It is thus not difficult to imagine as to how the Government funds are being squandered. Delhi University has introduced four-year undergraduate programme for the first time in the country. Despite

Rest on Page-7...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by N. K. Karn

'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 30 सितंबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ० उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 21 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 30 सितंबर, 2013

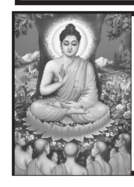

एक सुराही बूंद-बूंद से भरता है।

—गौतम बुद्ध

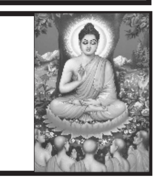

कारवां क्यों लुटा?

डॉ. उदित राज

जब तक दलित समाज मानसिक व मनोवैज्ञानिक रूप से दबा हुआ था तब तक उसे भावनाओं के सहारे जगाने की जरूरत थी। 1970 के दशक से कांशीराम जी एवं उनके तमाम साथियों ने इस कार्य को महाराष्ट्र से शुरू किया और धीरे-धीरे उत्तरी भारत तक पहुंचे। आर्य-अनार्य के इतिहास को बताना जरूरी हो गया था। शोषकों को ललकारना भी अतिआवश्यक था। उत्तेजक नारे जैसे- तिलक, तराजू और तलवार गढ़े गए। सामाजिक न्याय के महापुरूषों के विचारों को लोगों के बीच रखना जरूरी था ताकि वह प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस कार्यप्रणाली का अच्छा असर भी पड़ा कि जो दबे-कुचले थे उनमें न केवल चेतना का संचार शुरू हुआ बल्कि एकत्रित होकर सत्ता में भागीदारी लेने के लिए तैयार हुए। मानसिक रूप से तैयार करने के लिए एवं समर्पण की भावना पैदा हो, उसके लिए गैर संघर्षशील, गैर-धार्मिक एवं अराजनैतिक आंदोलन चलाया गया। अगर यह रणनीति का हिस्सा न माना जाए तो डॉ0 अंबेडकर के बताए मूल सिद्धांत शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो में कोई समानता नहीं है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की बात कही जबकि यह आंदोलन अराजनैतिक था। बौद्ध धर्म के माध्यम से समाज परिवर्तन की बात उन्होंने कही थी जबकि यह आंदोलन गैरधार्मिक था। समाज तैयार करने के लिए यह एक रणनीति थी। जब तैयार हो गया तो कांशीराम जी ने व्यावहारिक रूप दे दिया, जिसका प्रतिफल बहुजन समाज पार्टी थी। उस आंदोलन के सारे साथी उस दिशा में नहीं गए तो उन्हें धर्म या शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संघर्ष शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन वे बेअकल वही भावनात्मक बात करते रहे जो पहले होती रही। समाज को सैद्धांतिक रूप से तैयार करने की बात व्यवहार में जाना जरूरी है, वरना धीरे-धीरे यह एक आदत और पेशा बन जाता है और अब यही हो रहा है। कैडर लगाना, जज्बात पैदा करना, चंदा उगाही और काल्पनिक लक्ष्य तय करना आदि प्रमुख गतिविधि हो गयी है। इसी दौर में एक खतरा पैदा होता है जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव के जमाने में हुआ और वह था उदारीकरण और निजीकरण। यहीं से आरक्षण खत्म होना शुरू होता है और दलित आंदोलन से जुड़े तमाम संगठन भावनात्मक बात करते रहे और इस खतरे को पहचान नहीं सके। इनका वही हाल है कि एक तरफ रोम जल रहा था तो दूसरी तरफ नीरो बंसी बजा रहा था।

बहुजन समाज पार्टी ने राजनैतिक रूप से कुछ सफलता प्राप्त किया। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से लोग लाभांवित होने लगे परंतु हमारी भागीदारी, आर्थिक निर्भरता, सशक्तिकरण का माध्यम आरक्षण खत्म होता गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में जब सरकार बनी तब विनिवेश की नीति से आरक्षण और तेजी से घटा। उदाहरण के तौर पर कोल इंडिया लिमिटेड में एक समय 7 लाख कर्मचारी थे जो घटकर के आज लगभग साढ़े तीन लाख हो गए हैं। आउटसोर्सिंग, सरकारी विभागों एवं उपक्रमों का विनिवेश एवं उनको बेचने से आरक्षण तेजी से खत्म हो रहा है, ऐसे में ये लोग और संगठन क्या कर रहे हैं? समाज ऐसे संगठनों से हिसाब मांगे कि तुमने वोट और नोट लिया और मानसिक एवं शारीरिक ताकत भी फिर कारवां क्यों लुटा? जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जारी हुए थे तो भी ये लोग कहां थे? निजीकरण को तो रूस जैसे शक्तिशाली देश नहीं रोक पाया और रोकने की कोशिश में वह टूट गया तो भारत में क्या इसे रोका जा सकता है? लेकिन आरक्षण तो मांगा जा सकता है जो कि अन्य विकसित देशों में है भी। परिसंघ की वजह से निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा तो बन गया लेकिन अभी यह अधिकार मिल नहीं सका है। बौद्ध धर्म का कारवां भी हमने ही बढ़ाया तो इनसे सवाल किया जाए कि इन्होंने हंगामा खड़ा करने के अलावा और क्या किया? जिस तरह का लोकपाल अन्ना हजारे के साथी बनवाना चाहते थे उससे तो सत्ता फिर से सवर्णों के हाथों में चली जाती। लोकपाल को संसद की कार्यवाही, प्रधानमंत्री, सीबीआई एवं न्यायपालिका आदि सभी को जांच करने का अधिकार मांगा जा रहा था और यदि यह संभव हुआ होता तो क्या दलित, आदिवासी एवं पिछड़े नेता एवं अधिकारी निर्भीकता से आवाज उठा सकते थे? उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजने और भय पैदा करने का काम किया जाता। परिसंघ ने ही बहुजन लोकपाल बिल संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश किया और जैसे ही संसद के पटल पर लोकपाल पर चर्चा हुई और आरक्षण सबसे पहले स्वीकार कर लिया गया। जब भी लोकपाल समिति बनेगी, वह एकतरफा कार्यवाही नहीं कर पाएगी। एकतरफ आरक्षण समाप्त हुआ तो दूसरी तरफ शिक्षा का भी निजीकरण हुआ। देश में हजारों इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बीबीए, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि निजी क्षेत्र में खुलते गए और हमारी भागीदारी शिक्षा में कम होती गई, क्या कर रहे थे ये तथाकथित मिशनरी एवं अंबेडकरवादी संगठन और लोग?

सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की वजह से ही दलित समाज न केवल आर्थिक निर्भरता प्राप्त किया बल्कि मान-सम्मान, बुद्धि एवं शिक्षा भी हासिल हुई। अभी भी इस वर्ग के सामने कोई और साधन नहीं है जैसे कि वैश्य समाज के लिए व्यापार है। क्षत्रिय समाज न केवल शासन-प्रशासन में है बल्कि जमीन-जायदाद भी उसके गुजारे का साधन है। ब्राह्मण का पूछना ही क्या है, उसका आरक्षण मंदिर में 100 प्रतिशत है और इसके अतिरिक्त शासन-प्रशासन और शिक्षा में उच्च भागीदारी तो पहले से ही है। बैकवर्ड में भी कुछ जातियों के पास जमीन और व्यापार गुजारे के साधन हैं। तमाम बदलावों के बाद अभी भी दलित-आदिवासी का सहारा आरक्षण ही है। अति-पिछड़ों, पसमांदा मुसलमानों की भी हालत खराब है और ये अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं।

गत् लगभग 15 वर्षों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ न केवल वैचारिक लड़ाई लड़ा बल्कि उससे ज्यादा व्यावहारिक पक्ष उसका मजबूत रहा। इसी के संघर्ष से जो पांच आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जारी हुए थे, वापिस हुए। 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन अगर न हुआ होता तो आरक्षण विरोधी आदेश काफी थे आरक्षण खत्म करने के लिए। 4 नवंबर, 2001 में लाखों लोगों को बौद्ध बनाकर वैचारिक क्रांति की। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए गत् कई सालों से संघर्ष चल ही रहा है और आगामी 25 नवंबर को नई दिल्ली में पूर्ववत् जैसे महारैली का आयोजन हो रहा है। हमें समाज ने जितना सहयोग और समर्थन दिया, उससे कहीं ज्यादा सामाजिक परिवर्तन और अधिकार की लड़ाई सुनिश्चित किए और आगे यह कारवां जारी रहेगा। दुर्भाग्य है कि समाज ने हमें पूरी तरह समझा नहीं और उनका साथ ज्यादा दिया, जो कोई जिम्मेदारी नहीं लिए और मौखिक और सैद्धांतिक बात करते रहे हैं।

सरकारी तंत्र का असंतुलन

डॉ. उदित राज

मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया। इसी की निगरानी में पुर्नस्थापना, दोषियों को सजा और शांति बनाए रखना इत्यादि किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 67243 मुकदमे लंबित पड़े हैं, अगर पूरे देश के न्यायालयों की सूची तैयार की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा की है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास समय एवं साधन हैं कि मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे की निगरानी कर ले? यदि करता भी है तो मशीनरी उत्तर प्रदेश सरकार की ही तो होगी। अच्छा होता कि प्रदेश एवं केंद्र की सरकार इस मामले का निबटारा करती और जब कोई पक्षपात या ढिलाई होती तब उन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बन सकता था। उन लोगों का क्या होगा जिनके मुकदमे वर्षो से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और न्याय की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में इनको न्याय देना मुश्किल है क्योंकि उच्च न्यायपालिका के जज मीडिया में छाये रहने एवं राजनैतिक सत्ता के लिए ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिनसे बचा जा सकता था। दंगे के निदान इत्यादि का कार्य राज्य सरकार के अधीन आता है और जब कोई कमी हो तो दूसरी एजेंसियां जैसे केंद्र सरकार या न्यायपालिका उन बिंदुओं पर हस्तक्षेप कर सकते हैं।

दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जजों की नियुक्ति जज ही करते हों सिवाय भारत के। कुछ लोग बेशर्मी से या नासमझी से कहने लगे हैं कि न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं होना चाहिए और वर्तमान व्यवस्था उचित है। वही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जिनकी जाति या भाई-भतीजे न्यायपालिका में काबिज है। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट बार-बार दूसरों की मेरिट की जांच-पड़ताल करते रहते हैं लेकिन क्या खुद की कभी की? भारत ही नहीं शायद दुनिया में यही ऐसी उच्च संस्था है जहां पर जज बनने के लिए कोई परीक्षा या मापदंड निर्धारित नहीं है। तथाकथित जो भी मापदंड हैं वह बेहद जजों की पसंदगी या नापसंदगी पर आधारित हैं। हाल में गुजरात के मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्या ने तथ्य का खुलासा किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर थे। भास्कर भट्टाचार्या जब कलकत्ता उच्च न्यायालय में जज थे तो कबीर की बहन शुक्ला को जज बनाए जाने का विरोध किया था। शुक्ला कबीर की वकालत से वार्षिक आमदनी केवल 88000 थी जबकि चपरासी की औसत मासिक वेतन 15000 होता है। इस तरह से चपरासी की आमदनी शुक्ला कबीर से दोगुना ज्यादा है। इन्हें जज 58 वर्ष की अवस्था में बनाया गया। क्या ऐसा अंधेर किसी अन्य संस्था में है? न्यायपालिका में जो भी न हो जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि मामला अभी पर्दे के भीतर है। दूसरा कारण यह भी है कि सवर्ण वर्ग का एक तबका खुश भी है क्योंकि उसका हित सध रहा है। उच्च न्यायपालिका में जितनी धांधली है शायद दूसरी संस्था में न हो लेकिन कंटेम्प्ट के डर से लोग बोलते नहीं हैं।

कुछ वकीलों का मोह इतना भंग हो गया है कि वे इस पेशे को ही छोड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि अब तो न्यायाधीश ऐसा फैसला दे रहे हैं जो किसी धारा से भी संबंधित नहीं होता। किसको किस केस में क्या राहत देते हैं, ज्यादातर मामलों में उसका कारण लिखते ही नहीं। उच्च न्यायपालिका में न्याय पाना आम आदमी के लिए असंभव हो गया है क्योंकि अच्छे वकीलों की फीस महंगी हो गई है। ज्यादातर अच्छे वकील वही हैं जिसे जज पसंद करते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्ञान और तर्कशक्ति सफल वकील के लिए जरूरी हो। ज्यादातर सफल वकील जुगाड़ से बन रहे हैं। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी फेसवैल्यू है। जिन वकीलों की फेसवैल्यू है वह जब बहस करते हैं तो ज्यादातर न्यायाधीश महत्व देते हैं। जिन वकीलों की फेसवैल्यू नहीं है वह चाहे बेहतर जिरह ही क्यों न करे, उनको ज्यादातर न्यायाधीश तवज्जो नहीं देते। यही कारण है कि फेसवैल्यू वाले वकीलों की फीस बढ़ती जाती है और इनकी फीस लाखों तक में ही नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच गई है। सफल वकीलों को बाहर बहस कराने के लिए ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लैट तक देना पड़ता है। क्या आम जनता इन वकीलों की फीस चुका सकती है? क्या इससे ज्यादा अन्याय किसी और संस्था में होता है? जिस वकील को अंग्रेजी नहीं आती है समझो कि वह हाईकार्ट व सुप्रीमकोर्ट में सफल हो ही नहीं सकता।

जनता की नजरों में न्यायपालिका अभी पवित्र संस्था बनी हुई है। जिस दिन इनकी सच्चाई बाहर आएगी तब लोगों को पता लगेगा कि यह क्या है? कुछ कारण हैं जिसकी वजह से असलियत अभी तक छुपी हुई है। अभिजात्य वर्ग और अमीर पैसे देकर के न्याय को ले लेते हैं इसलिए वे प्रायः खिलाफ में जाते नहीं। प्रचार तंत्र लगभग इन्हीं के पास है जिसकी वजह से असलियत ढकी रह जाती है। दूसरा दलितों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं है वर्ना आवाज उठने लगती कि आरक्षण से अयोग्य लोग न्यायपालिका में बैठे हैं। इसीलिए मुकदमें तय करने में देरी हो रही है और निर्णय भी कई बार गलत और पक्षपातपूर्ण हो रहे हैं। सवर्णो एवं अभिजात्य वर्ग के लोगों को सुविधा है कि वह अपने भाई-भतीजों की नियुक्ति करा लेते हैं। तमाम सर्वे भी आए हैं जिसमें पता लगा है कि कुछ ही घराने एवं जाति के लोग हैं जिनकी उपस्थिति बहुसंख्यक रूप में बहुत पहले से चली आ रही है। क्षेत्रवाद की बात तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आम वकीलों के द्वारा कहते हुए सुनी जाएगी। पूर्व कानूनमंत्री शांतिभूषण पहले ही कह चुके हैं कि 16 मुख्य न्यायाधीशों में से 8 भ्रष्ट थे। तमाम जज भ्रष्ट ही नहीं है, बल्कि वे सरकारी तंत्र से प्रभावित भी रहते हैं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद मलाईदार पद ले सकें। पूर्व मुख्य न्यायाधीध वाई.के. सब्बरवाल दिल्ली के बिल्डरों से मिलकर लाखों दुकाने सील कर दी। हजारों लोग बर्बाद हो गए और बाद में वे सभी दुकानें खुल गयीं। संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए था लेकिन वह भी निकम्मी बनी रही।

न्याय इतना महंगा है कि अमीर लोगों को खरीदने में समय नहीं लगता। 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था जिसका भागीदार मैं भी था। रिलायंस को दादरी में बिजली उत्पादन के लिए औने-पौने दाम पर किसानों से जमीन छीन कर दी गई थी। आंदोलनकारी जमीन को वापस लेना चाहते थे। रिलायंस इस देश का बहुत बड़ा उद्योग घराना है इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट लगभग 10 बजे रात फैसले की सुनवाई करता है। क्या आम जनता के मामले में भी ऐसा उच्च न्यायपालिका करेगी? अमीर जब चाहते हैं अपने मुकदमे का फैसला करा लेते हैं। लोगों में यह भी भ्रम है कि जो कार्य कार्यपालिका एवं विधायिका नहीं कर पा रही है उसे न्यायपालिका करने में सक्षम है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। न्यायपालिका का कार्य कानून बनाना नहीं है लेकिन गत् कई वर्षो में ऐसा हो रहा है। जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है जनतंत्र में जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त होता है। उच्च न्यायपालिका में बैठे जज यदि कानून बनाने लगे तो जनता के चुने प्रतिनिधि क्या करेंगे? दरअसल जनता की आस्था न्यायपालिका को ताकत दे रही है। देर-सवेर यह गलती महसूस होनी ही है। विधायिका के प्रति लोगों का रोष है और इसका लाभ न्यायपालिका उठा रही है। निःसंदेह कार्यपालिका और विधायिका की अकमर्ण्यता एवं भ्रष्टाचार भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो बड़े-बड़े मामले उच्च न्यायपालिका के सामने गए उनका हश्र क्या हुआ? यूरिया घोटाला, यूनियल कार्बाइड, जैन हवाला कांड आदि मामलों में हंगामा तो बहुत हुआ लेकिन दोषियों को सजा और जनता को क्या न्याय मिल सका? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एवं संवेदनशील मामले जब जाते हैं तो हंगामा जरूर खड़ा हो जाता है लेकिन नतीजे कभी ही अच्छे आते हैं।

देशहित में यही है कि सरकार के तीनों अंग - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका अपनी-अपनी सीमा के दायरे में रह कर काम करें। चाहे जो भी कारण हों, न्यायपालिका अपनी सीमा लांघने लगी है। वह कानून का व्याख्यान करने की जगह कानून बनाने लगी है। मीडिया में आने के लिए मुजफ्फर नगर के साम्प्रदायिक दंगे के मामले की सुनवाई करना शुरू कर दिया जबकि उसके पास काम का अंबार पहले से ही लगा है। पीआईएल से कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन देखा गया है कि लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्यादा करने लगे हैं। कुछ वकील और जज भी इस खेल में शामिल हैं। राजनैतिक इच्छा यदि नहीं होगी कि मुजफ्फर नगर में शांति हो, लोग पुनर्थापित किए जाए और सबको न्याय मिले तो उच्च न्यायपालिका के लाख चाहने पर भी कुछ ज्यादा नहीं हो सकेगा।

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

ओरैया में मंडलीय सम्मेलन 20 अक्टूबर को

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के उत्तर प्रदेश के इकाई की ओर से **20 अक्टूबर, 2013** को ओरैया में मंडलीय सम्मेलन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण है। सम्मेलन में आस-पास के जनपद जैसे झांसी, जालौन, कानपूर, इटावा, इत्यादि जिले के भी कार्यकर्ता भाग लेंगे।

भवननाथ पासवान 09415158866 | **आर. के कमल** 09759845668

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी अभी से शुरू कर दें

परिसंघ के आह्वान पर निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए रैली

डॉ० उदित राज
राष्ट्रीय चेयरमैन

25 नवंबर, 2013 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे लाखों की संख्या में रामलीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्र होकर जंतर-मंतर तक मार्च व संसद का घेराव

साथियों,

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई। यह तब हुई थी जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश भारत सरकार ने जारी किए। इसके महान संघर्ष की वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए तभी जाकर के आरक्षण बचा। इस संघर्ष की 11 दिसंबर 2000 की रैली इतनी बड़ी थी कि आजाद भारत के 10 बड़ी रैलियों में से एक मानी गई थी जिसके प्रभाव से आरक्षण बचा (हिंदुस्तान समाचार की रिपोर्ट)। 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बनें। निजी क्षेत्र में आरक्षण के महत्व को जब तक लोग समझ नहीं पाए थे तब से परिसंघ ने उठाया और अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो परिसंघ ही संघर्ष करके विरोध को दबाया और आरक्षण लागू कराया। अन्ना हजारे ने जब हठ किया कि लोकपाल बने और वह संविधान से भी ऊपर हो तो हमीं ने उसका जवाब दिया। बहुजन लोकपाल बिल पेश किया और इसी से संसद में जब लोकपाल पर बहस हुई तो आरक्षण का प्रावधान रखा। कुल मिलाकर 1997 से लेकर अब तक परिसंघ ही एकमात्र संगठन रहा जिसने नतीजा देने वाली लड़ाई लड़ी। शेष अधिकतर संगठन चंदाखोरी, सभा-सम्मेलन और कैडर करने में ही लगे रहे।

निजी क्षेत्र में आरक्षण जिंदगी और मौत का प्रश्न बन गया है। यूपीए प्रथम के समय में सरकार कुछ गंभीर थी लेकिन जब हम थोड़ा अपने ही लोगों के द्वारा टांग खिंचाई से कमजोर हुए तो सरकार के ऊपर दबाव कम हुआ और अभी तक निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए कानून नहीं बना। हमारे कमजोर होने से पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीना क्यूंकि वहां के कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2011 के बाद से भी हमारा साथ नहीं दिया। इसी दिन लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला लिया था। फैसले के अंतिम पैराग्राफ में उल्लेख भी था कि राज्य सरकार चाहे तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एम. नागराज के फैसले में शर्तो को पूरा करते हुए आगे इस अधिकार को यथास्थिति रख सकती है। उसने ऐसा ना करके सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 27 अप्रैल 2012 को फिर से उल्टा आ गया। नागराज की तीन शर्तें- पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व और दक्षता गलत हैं क्यूंकि 77वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधनों में ऐसा नहीं है। आरक्षण कानून बनाने के लिए 2004 से बिल लंबित है और अभी तक यह संसद से पास नहीं हो सका है।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से जिसके पास धन है उसी की मीडिया, सत्ता और तमाम ताकतें है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। ऐसे में यदि दलित आदिवासी को आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण, कैडरकैम्प, तकनीकी सहायता, कर्ज, बाजार, नेटवर्क, मांग एवं पूर्ति आदि के लिए इन्हें तैयार नहीं किया गया तो ये गुलाम ही रह जाएंगे।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त सफाई कर्मियों का बेतहाशा शोषण और इस कार्य में ठेकेदारी प्रथा है। उच्च न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण आदि बड़ी समस्याएं हैं। जाति-प्रमाणपत्र जारी होने में परेशानी और एक राज्य का दूसरे राज्य में ना मान्य होना, नौकरी में भारी नुकसान है। हमारे सामने दलित एकता की बड़ी चुनौती है। जब तक हम बाबा साहेब एवं अपने पूर्वजों के विचारधारा को दलित समाज के समस्त जातियों में जो कम अंबेडकरवादी हैं जैसे बाल्मिकी, खटिक, मादिगा, पासी, धानुक, धोबी, कोली आदि में नहीं फैलाते हैं, तब तक हमारी संख्या और एकता कम रहेगी और उपरोक्त अधिकारों को हासिल करना मुश्किल होगा। परिसंघ आह्वान करता है कि अब आप गैर-अंबेडकरवादियों के बीच जाकर अपने ताकत को बढ़ाएं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं।

उपरोक्त मांगों को लेकर के 25 नवंबर 2013 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान पर लाखों की रैली के उपरांत जंतर-मंतर पर मार्च करते हुए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

निवेदक : इंदिरा आठवले, प्रधान महासचिव

भवननाथ पासवान, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ0प्र0), एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार, ब्रह्म प्रकाश, ए. आर. कोली (दिल्ली), इन्द्राज सिंह (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), बी. सगादेवन (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, तारापद बिश्वास, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, देवी प्रसाद (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, पुरूषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

दंगे के दोषियों को दंडित किया जाए

नई दिल्ली, 14 सितंबर। इंडियन जस्टिस पार्टी (इंजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. उदित राज ने कहा कि मुजफ्फरनगर और आसपास में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, वह प्रशासन की अक्षमता की वजह से हुआ। गांव कवाल की घटना व्यक्तिगत थी, वह सांप्रदायिक रूप नहीं ले सकती थी अगर सरकारी मशीनरी समय पर कार्यवाही की होती। ज्ञात रहे कि कवाल गांव की घटना के बाद मुजफ्फरनगर शहर में एक बहुत बड़ा जमावड़ा आयोजित किया गया जिसमें न केवल कुछ लोगों के द्वारा हथियारों को लहराया गया बल्कि ऐसे भाषण दिए गए जिससे सांप्रदायिकता सौहार्द बिगड़ता गया। प्रशासन का यह मुख्य काम है कि वह सजग रहे, जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही हो तो वह समय पर कार्रवाई करे। डा. उदित राज ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि दंगा गांव में ही भड़का जबकि पूर्व में मुलतः शहरों तक ही सीमित होता था। यह चिंता का विषय इसलिए है कि यदि यह प्रगति आगे रही तो प्रशासन भी इसे रोक नहीं सकेगा। समाज सांप्रदायिकता के हवाले यह भेंट चढ जाएगा। दंगा जब शहरों तक रहता है तो पुलिस और सेना उसे काबू कर लेती है लेकिन जब गांव-गांव फैल जाएगा तो यह असंभव सा हो जाएगा। और इतनी संख्या में पुलिस और सेना की गांव-गांव तक तैनाती करना असंभव सा है। इन्होंने उन नेताओं और पार्टियों से अपील किया है कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई खड़ी करके समर्थन हासिल करते हैं, वे बाज आए वरना वे भी देर-सवेर इसकी लपटों में झुलस जाएंगे। जबसे संचार के क्षेत्र में क्रांति हुई, अब वह गांव नहीं रह गए जो कि पहले हुआ करते थे। अब कुछ ही पल में विस्फोटक अफवाह गांव-गांव तक पहुंचाई जा सकती है। इस बार का सांप्रदायिक दंगा शुरू से भिन्न और ज्यादा चिंताजनक है। अतः न केवल राजनैतिक दलों को बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सोच-विचार करके इसको जड़ से उखारने की कोशिश करें।

डा. उदित राज ने आगे कहा कि दुनिया के तमाम देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हम उस विकास की गति में शामिल होने के बजाय एक दूसरे के साथ भी शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत कभी विकसित देश हो सकेगा? कैसा है हमारा समाज कि एक मामूली बात पर एक-दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं जबकि दूसरे देश मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। और हम यहां पर भी उचित रूप से बस नहीं पा रहे हैं। डा. उदित राज ने मांग किया कि जिस भी धर्म के लोग इस दंगे में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हुए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी मांग किया है कि दोषियों को त्वरित न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाए।

क्या पूरे गांव की मानवता मर गयी थी?

अनिल शर्मा

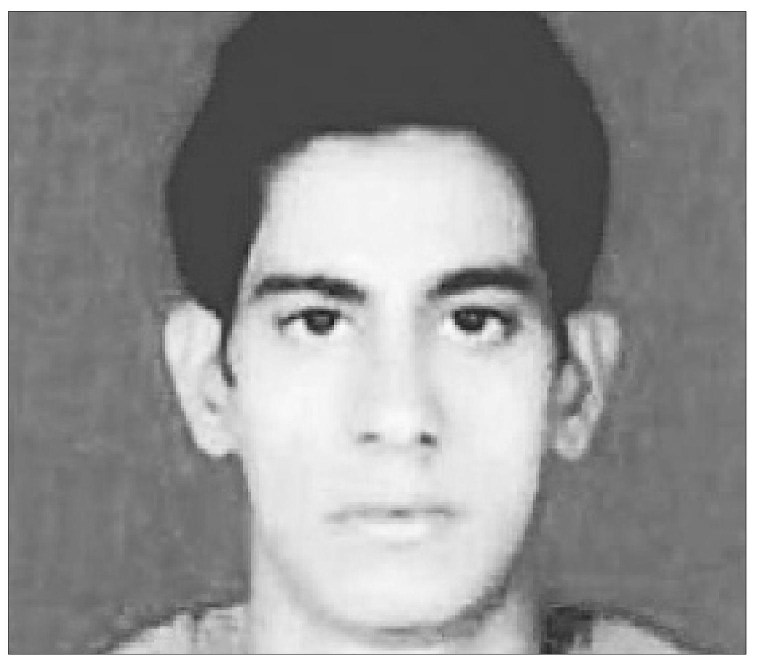

रोहतक, 20 सितंबर। रोहतक के गांव गरनावठी में 18 सितंबर को हुई आनर किलिंग के मामले में ग्रामीण इस कद्र तक संवेदनहीन हो गए थे कि डेढ़ घंटे तक गांव में प्रेमी जोड़े की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया।

जब गांव में युवती निधि के परिजन उसका और धर्मेंद्र का अपहरण करके लाए थे तब भी किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। यदि कोई हिम्मत करके पुलिस को फोन कर देता उनकी जान बच जाती।

पूछताछ में हत्या आरोपी युवती के पिता नरेंद्र और चाचा रविंद्र ने बताया कि उन्होंने पहले निधि की हत्या की क्योंकि वह धर्मेंद्र को बचाने के लिए बहुत शोर मचा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों शादी कर चुके थे। इसकी भनक परिजनों को लग गई थी। इस वजह से वे 17 सितंबर की रात फरार हो गए।

पापा धर्मेंद्र को मत मारो, चाहे मुझे जान से मार दो

बहादुरगढ़ से प्रेमी जोड़े का अपहरण कर युवती के परिजन उसे गरनावठी लेकर आए। युवती के घर के एक कमरे में उन्हें अलग-अलग बांधा गया। इसके बाद उन्हें पहले पीट-पीटकर अधमरा किया गया। आरोपी पिता ने बताया कि जब वे धर्मेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे तो निधि बीच-बीच में उसे छोड़ने को कह रही थी, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया और निधि की गर्दन धड़ से अलग कर दी। आरोपियों ने यह बताया कि युवती बार-बार यह कह रही थी कि भले ही उसे जान से मार डालो, परंतु धर्मेंद्र को छोड़ दो। अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए निधि परिजनों के सामने खूब गिड़गिड़ाई थी, परंतु उनका दिल नहीं पसीजा। युवती की हत्या के बाद युवक का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। युवती का शव फूंकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने उसे अधजली हालत में बरामद किया। मामले की जांच कर रहे कलानौर थाना प्रभारी ने बताया कि पहले युवती की हत्या की गई थी, बाद में युवक की हत्या कर शव उसके घर के बाहर फेंक दिया था।

दोस्त भी दे गया दगा, कातिलों को ले आया प्रेमी जोड़े तक

रोहतक। गांव गरनावठी में 18 सितंबर को हुई आनर किलिंग में प्रेमी जोड़े की जान बच जाती यदि वे पैसे मांगने के लिए अपने दोस्त को फोन नहीं करते। 17 सितंबर की रात को निधि और धर्मेंद्र गांव से फरार हो गए थे। रात से ही युवती के परिजन उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।

धर्मेंद्र ने 18 सितंबर को सुबह में अपने दोस्त से दिल्ली से बाहर जाने के लिए आर्थिक मदद मांगी। उस वक्त उसका दोस्त निधि के घर पर था। युवती के परिजनों ने ही उसे और धर्मेंद्र के भाई को वहां पर शक के आधार पर बैठा रखा था। युवती के पिता नरेंद्र उर्फ बिल्लू को जैसे ही भनक लगी कि फोन धर्मेंद्र का है तो उन्होंने दोस्त को झांसे में ले लिया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने दोस्त को कहा था कि वे निधि और धर्मेंद्र को माफ कर देंगे। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के भाई को भी घर बुलवा लिया। उन्होंने दोस्त से फोन करवाया कि बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर आ जाओ। इसके बाद वे धर्मेंद्र के भाई और दोस्त को साथ लेकर बहादुरगढ़ के लिए रवाना हो गए। जब निधि और धर्मेंद्र बहादुरगढ़ पहुंचे तो युवती के परिजनों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके भाई और दोस्त को वहीं छोड़ दिया। एसपी राजेश दुग्गल ने बताया कि धर्मेंद्र ने दोस्त के पास फोन आने के बाद युवती के परिजनों को उनकी लोकेशन का पता चला और बहादुरगढ़ से प्रेमी जोड़े को उठाया गया। उन्हें गरनावठी में लाकर काट डाला।

संस्कार करने को भी राजी नहीं थे परिजन, पुलिस ने मुश्किल से मनाया

निधि और धर्मेंद्र के शवों के पोस्टमार्टम के लिए तीन डाक्टरों का पैनल बनाया गया। सिविल अस्पताल के डा. अजीत के नेतृत्व में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। धर्मेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तेजधार हथियार से पहले वार किए गए हैं और बाद में सिर धड़ से अलग किया गया है। निधि का शव जला होने के कारण विसरा जांच के लिए मधुबन भेजा गया है। पहले दोनों के शव लेने को परिजन राजी नहीं हुए। पुलिस ने गांव के सरपंच और मौजूद लोगों से बातचीत कर दोनों के परिजनों को मनाया। सुरक्षा के बीच दोनों का अलग-अलग दाह संस्कार किया गया।

युवक के परिजनों ने तोड़ी चुप्पी, दिए बयान

रोहतक। गांव गरनावठी में हुई निधि और धर्मेंद्र की हत्या के मामले में 19 सितंबर को आखिरकार मृतक के भाई पवन और चाचा सतबीर ने चुप्पी तोड़ी। पहले हत्या पर कुछ भी बोलने से इंकार करने वाले युवक के भाई और चाचा के 175 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए। दोनों ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से धर्मेंद्र की हत्या की गई है। दोनों पक्षों के बयान हत्या के मामले में तब्दील हो जाएंगे। पवन ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त वे खेत में गए हुए थे। उसके भाई धर्मेंद्र और निधि के बीच तीन साल से प्रेम-संबंध थे, जिसको लेकर युवती के परिजन नाराज थे। उन्होंने योजना बनाकर उसके भाई की हत्या की है। इसी तरह पुलिस ने मृतका निधि के परिवार के सदस्य आनंद और रामेश्वर के भी बयान दर्ज किए हैं जोकि रिश्ते में उसके दादा हैं।

(साभार- अमर उजाला)

अजब माहौल है मेरे देश का, मजहब थोपा जाता है।

दलित को मन्दिर जाने से रोका जाता है !!

देवदासी प्रथा हमारे इतिहास का और संस्कृति का एक पुराना और काला अध्याय है, जिसका आज के समय में कोई औचित्य नहीं है। इस प्रथा के खात्मे से कहीं ज्यादा उन बच्चियों के भविष्य की नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है।

देवदासी प्रथा कहते ही आपके मन में ये बात आती होगी कि वो महिलाएं जो धर्म के नाम पर दान कर दी जातीं हैं और फिर उनका जीवन धर्म और शारीरिक शोषण के बीच जूझता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये घिनौनी प्रथा आज भी जारी है। आज भी आंध्र प्रदेश में, विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की रस्म चल रही है। "देवदासी बनी महिलाओं को इस बात का भी अधिकार नहीं रह जाता कि वो किसी की हवस का शिकार होने से इंकार कर सकें"। जिस शारीरिक शोषण के शिकार होने के सिर्फ जिक्र भर से रुह कांप जाती हैं, उस दिल दहला देने वाले शोषण को सामना ये देवदासियां हर दिन करती हैं। देवदासी प्रथा भारत के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में सदियों से चले आ रहे धार्मिक उन्माद की उपज है। जिन बालिकाओं को देवी-देवता को समर्पित किया जाता है, वह देवदासी कहलाती हैं। देवदासी का विवाह देवी-देवता से हुआ माना जाता है, वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। सभी पुरुषों में देवी-देवता का अक्श मान उसकी इच्छा पूर्ति करती हैं।

देवदासी प्रथा भारत में आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, उस्मानाबाद, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्ग आदि में बेरोकटोक जारी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के सौदती स्थित येल्लमा देवी के मंदिर में हर वर्ष माघ पुर्णिमा जिसे 'रण्डीपूर्णिमा' भी कहते है, के दिन किशोरियों को देवदासियां बनाया जाता है। उस दिन लाखों की संख्या में भक्तजन पहुँच कर आदिवासी लड़कियों के शरीर के साथ सरेआम छेड़छाड़ करते हैं। शराब के नशे में धुत हो अपनी काम पिपास बुझाते हैं। "केवल महबूब नगर जिले में ऐसे रिश्तों से पैदा हुए पांच से दस हजार बच्चे हैं। पहले उनका सर्वे होना चाहिए। इन बच्चों के लिए विशेष स्कूल और हास्टल होने चाहिए और उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो भी सम्मान के साथ जीवन बिता सकें।" भगवान जैसे निर्जीव चीज की सेवा करने के नाम पर पुजारियों और मठाधिशों की सेवा के लिए शुरू की गई 'देवदासी प्रथा' घोषित रूप से भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन देवदासियां आज भी हैं।

ज्ञात हो कि इतिहास के अनुसार, भारत के मंदिरों की देवदासियां संभवतयाः पहली वेश्याएं थी, इसी प्रकार कोरिंथ में एफ्रोडाइट के मंदिर तथा आर्मीनिया में एनाइतिस के मंदिर की हायरोड्यूल (मंदिर में रहने वाली दासियां) भी इसी काल की वेश्याएं थी, जो धन के बदले देह परोस पुरुष की काम तृप्ति करती, मिलने वाले धन को मंदिर के कोष में जमा करवा देती थी। यह देवदासियां, मंदिर में पुजारिओं सहित नगरसेठों आदि की कामतृप्ति करती थी। धर्म के नाम पर चलने वाला काम वासना का यह खेल मंदिरों से निकल नगर में वेश्यावृति के रूप में फैलने लगा है।

(https://www.facebook.com/awdhesh.kumar.3990?fref=ts#)

IJP released first list of candidates for Delhi Assembly Elections

New Delhi, September 18. The President of Indian Justice Party, Dr. Udit Raj, informed that the Party is participating in Delhi Assembly Elections. Delhi is the capital of the country and about half of the population either lives in Jhuggi-Jhopadi or in the colonies where basic amenities are missing. Both the main parties, Congress and BJP have been in the power in Assembly and Corporation and yet the condition of common people is very pathetic. In such circumstances, an alternative is needed. An alternative should not be created to fight the corruption alone but it must speak equally about social justice. Those who are exploited on the basis of decent and birth, for them the social and economic discrimination is primary to fight. No doubt economic corruption is big issue but other problems are to be addressed with equal emphasis and these mainly relate to SC/ST. Electricity charges are exorbitant and common people can't afford. Other essential commodities and facilities are equally unaffordable and that is why Delhi has become the place for rich people. The Indian Justice Party will fight for inclusive growth and development.

Dr. Udit Raj told that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes settled after 1950 face extremely difficult situation to get the caste certificate due to corruption and red-tapism. Based on various facts and surveys it is established that participation of dalits is dismal in trade, business and power gallery in Delhi and much worse as compared to other states. Being capital of the country, Delhi should have inclusive growth but it is far behind as compared to even poor states like Bihar, U.P. etc. Backward castes too have scant share in governance. Due to provision it is compulsion to maintain reservation in people representation but in administration and key position, officers belonging to these communities face extreme exclusion. The Indian Justice Party will raise these issues in this forthcoming election.

S. No.	No. & Name of Constituency	Name of Candidate
1.	70 - KARAWAL NAGAR	Ch. Jitender Bansal
2.	69 – MUSTAFABAD	Ch. Ravindra Singh
3.	68 – GOKALPUR	Ashok Kumar
4.	66 – GHONDA	Vijay Kumar
5.	2 – BURARI	--
6.	63 - SEEMA PURI	Mukesh Kumar
7.	9 – KIRARI	Shyam Dubey
8.	31 – VIKASPURI	--
9.	37 – PALAM	--
10.	7 – BAWANA	Rajender Singh
11.	13 – ROHINI	--
12.	41 – JANGPURA	Prem Sagar Bhola
13.	60 - KRISHNA NAGAR	--
14.	25 - MOTI NAGAR	Deepak Taneja
15.	38 - DELHI CANTT	Mohd. Qasim
16.	61 - GANDHI NAGAR	Hukam Singh Kataria
17.	17 - Wazirpur	Ashok Khari

Dr. Udit Raj further explained that about 30% population of the capital is from Bihar and Uttar Pradesh and most of them are living in abject poverty. They are the victim of regionalism. Poor dwellings were uprooted from posh colonies with the promises that they will be rehabilitated properly but that never became reality. These uprooted people have managed themselves and hardly governmental aid has come to them. Poor and marginalized people are also responsible for their pathetic condition because they vote in lieu of liquor, money and other kind of allurements. Former Prime Minister, V. P. Singh, drove a movement for Jhuggi-Jhopadi dwellers that they should be given houses with minimum facilities. Governments promised also but it remained a mirage. This will be the main agenda of Indian Justice Party in this election. Though the government has made the manual scavenging a punishable offence and passed a law – The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2013 but still there is doubt that it will be implemented. In 1993, similar kind of legislation was made but manual scavenging was not stopped. The job of housekeeping and cleaning has been outsourced and it has further sharpened the exploitation. Contract system in Safai work must be stopped immediately. Thousands of posts are lying vacant in the state government but that were never filled up.

Dr. Udit Raj declared the first list of the constitutes from which the election will be contested and these are in above table.

Rest of Page-8...

Country Heading Towards Illiteracy

strong opposition from the Joint Action Front For Democratic Education, the introduction of the four-year undergraduate programme could not be stopped. The national education policy was adopted by the Parliament in the year 1992 in which there was a provision for 10+2+3 pattern and how the Vice-Chancellor of Delhi University alone can change this pattern into 10+2+4. In spite of strong protests, the Vice-Chancellor has not been removed because he has a strong backing of the Ministers in the Ministry of Human Resource Development. We are already receiving signals that Dalits, Adivasis and Backwards will either drop out from this course or would leave after getting two-year diploma or three-year degree but there would be very few of them who would complete the four-year undergraduate programme. In the Foundation Course also, the Arts students will be compelled to study Science, English and Mathematics and in this background, the number of drop-outs would steadily increase. The burden of four years instead of three years will further add to financial burden. For students engaged in the study of regional languages, problems will further increase.Despite the widespread criticism of the four-year course but the Government is not paying attention to this burning issue. Recently a seminar was held on FYUP at Lady Shri Ram College in which M.B.M Tsui, Chairman, Steering Committee, Hong Kong University and Jane Ohlmeyer, Vice Provost, Trinity College, Dublin said that the way in which the four-year undergraduate programme has been introduced in Delhi University, is highly undesirable. It took seven years to introduce this course in Hong Kong University whereas in Delhi University this has been introduced in such a big haste as a result of which the three-year degree course has been abolished. In the Trinity College, Dublin, the four-year undergraduate programme has been introduced without abolishing three-year degree course. Country's education policy is going from bad to worse . Sufficient funds were allocated in the 11th and 12th five-year plans but the Ministry of Human Resource Development could not make the proper use of these funds. In the name of Sarva Shiksha Abhiyan, huge funds have been squandered.The Indian Government blindly follows the American and European policies. We should learn from them that there are a very large number of scholarships there whereas in our country, there are very few scholarships and that too at the Ph.D. level. When the poor children cannot complete their graduation course, how will they reach post-graduation stage. Now another policy has been announced by the Government that Foreign Education Providers will be allowed to open their campuses. Are the foreign education institutions coming here to do some charitable work or only to earn money? PPP, RTI, FYUP and other education policies are depriving the common people of the right to equal education and higher education will be restricted only to a few. Unlike America, higher education in our case is linked to dignity, high income , governance and participation and depriving of it will adversely affects Dalits, Adivasis and Backwards.

इंजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज को मूल निवासी लोकतांत्रिक गठबंधन ने छत्तीसगढ से लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा

क्रांति कुमार साव

मूल निवासी मुक्ति मोर्चा द्वारा रायपुर में आयोजित प्रबुद्ध भारत राष्ट्र निर्माण अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज को छत्तीसगढ प्रदेश से किसी उपयुक्त लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव हाल ही में बनाये गए मूल निवासी लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक एवं प्रवक्ता गोपाल ऋषिकर भारती ने रखा। इस प्रस्ताव का सैकड़ों प्रतिनिधियों ने खुले दिल से स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि डॉ. उदित राज न केवल दलित व शोषित वर्गो बल्कि सर्व समाज के उत्थान का कार्य अनवरत अपनी उच्च श्रेणी की नौकरी छोड़ कर रहे हैं। संपूर्ण देश में अंबेडकरवादी कारवां को आगे बढाने के लिए प्रमाणिक रूप से कार्य करनेवाले ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रीय स्तर के नेता जो आम जनता की भलाई में लगे हों, उन्हें छत्तीसगढ लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने की रणनीति पर विचार हो रहा है। यह विचार जिस तरह डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर को जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र से जो अब पाकिस्तान में मिल चुका है, जिताकर संविधान सभा में भेजा था। आज पुनः संविधान की रक्षा के लिए ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है। डॉ. उदित राज ने इंडियन जस्टिस पार्टी को मूल निवासी लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है और चुनाव लड़ने पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से विचार-विमर्श करके इस संबंध में जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी।

मूल निवासी मुक्ति मोर्चा द्वारा घोषित एजेंडा सभी जरूरतमंदों को रोजगार एवं आम जनता को बुनियादी अधिकारों की गारंटी जैसे 25 सूत्रीय कार्यक्रम रखे गए हैं जो पार्टियां इनको अपना कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं जिसके लिए छत्तीसगढ को विशेष आदर्श राज्य बनाने का मुद्दा प्रमुख हैं। गठबंधन में मूल निवासी गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना मुक्ति सेवा, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी और इंडियन जस्टिस पार्टी भी शामिल हो गया हैं। साथ ही अनेकों पार्टियों एवं निर्दलियों को मिलाकर सारंगढ सुरक्षित विधानसभा एवं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉ. छबीलाल रात्रे, मस्तुरी विधनसभा क्षेत्र एवं बिलासपुर लोकसभा से इंजीनियर रामफल माण्ड्रे आदिवासी सुरक्षित पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र से परमानंद सिंह, कटघोरा से राघवेंद्र पांडेय आदिवासी बस्तर सुरक्षित क्षेत्र से श्रीमति पद्मा मांझी एवं चंद्रपुर से रामदयाल भास्कर को मूल निवासी लोकतांत्रिक गठबंधन से प्रत्याशी घोषित किया गया है।

"पिछड़े वर्गों का आरक्षण रोकने हेतु रतन टाटा ने दी 'डिक्की' को सुपारी - डॉ. उदित राज

मुलनिवासी माला

भारतीय संविधान द्वारा पिछड़े वर्गों को सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया। किंतु निजी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में संविधानात्मक आरक्षण प्राप्त करने हेतु देशभर में अनेक संगठनों द्वारा जनआंदोलन हो रहा है। परंतु पिछड़ें वर्गों को निजी क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध ही न हो इस हेतु उद्योगपति रतन टाटा एवं पूंजीवादियों ने 'दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रिज (डिक्की)' से गठबंधन कर उसे सुपारी दी है। ऐसा गंभीर आरोप अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने मुंबई में लगाया।

''पदोन्नत एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण और परिसंघ को आने वाले दिनों में आह्वान'' विषय पर एकदिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन 15 सितंबर को जे. पी. नाईक भवन, मुंबई में किया गया। इस परिसंवाद में प्रा. इंदिरा अठावले, प्रदीप ढोबले तथा अनेक विचारवंत और कार्यकर्ता सहभागी हुए। परिसंवाद का उद्घाटन अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने किया। डॉ. उदित राज ने कहा कि 'निजी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में पिछड़े वर्गो को संविधानात्मक अधिकार (आरक्षण) मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर हमारा संगठन पिछले अनेक वर्षो से देश भर में जनआंदोलन कर रहा है। अन्य कुछ सामाजिक संगठन एवं कुछ राजकीय पक्ष भी आंदोलन कर रहे हैं परंतु निजी क्षेत्र में आरक्षण को उच्चवर्णियों का विरोध है ही और इस देश के पूंजीपतियों द्वारा जोरदार विरोध हो रहा है।

उद्योगपति रतन टाटा और भारत देश में पूंजीपतियों ने डिक्की संस्था को आगे लाकर अब दलित भी उद्योगपति बन रहे हैं। यह प्रचार-प्रसार कर अब पिछड़े वर्गो को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस तरह प्रचार कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। किंतु इस विरोध के खिलाफ हमें लड़ना ही होगा। यह आह्वान इस समय उपस्थित कार्यकर्ताओं को डॉ. उदित राज ने किया। इस परिसंवाद में परिसंघ के जगदीश नगरकर, प्रकाश पाटील, मुलनिवासी माला, सिद्धार्थ भोजने आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

तेलंगाना राज्य की स्थापना होना ही चाहिए- डॉ. उदित राज

मुलनिवासी माला

तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए कार्यरत तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमिटी, मुंबई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज से मुंबई में मुलाकात की।

डॉ. उदित राज ने कहा कि छोटे राज्य बनने से जनता एवं प्रशासन के समन्वय सही हो जाता है। जिस कारण राज्य का विकास अधिक होता है। यह डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के विचार थे। इसी विचारों पर काम करते हुए हम छोटे राज्य के निर्माण को समर्थन करते हैं और मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम अपने परिसंघ के द्वारा दिल्ली में विभिन्न प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय पक्षों के प्रमुख नेताओं से बातचीत कर 'तेलंगाना राज्य' के जल्द से जल्द निर्माण करने का दबाव बनाये रखुंगा। इस मुलाकात के दरम्यान 'मुंबई तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमिटी' के चेयरमैन मुलनिवासी माला, पदाधिकारी भिमराव मादिगा, पांडुरंग पदमशाली, जी. गंगाधर बेस्ता और के. बबिता इ. उपस्थित थे।

Samples of the Handbill for the forthcomming Rally are being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get these printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Reservation In Pvt. Sector And Economic Empowerment

Dr. Udit Raj
National Chairman

On 25th November, 2013 (Monday) at 11 AM, Lakhs of People to Assemble at Ramlila Ground, New Delhi, And Then March to Jantar Mantar To Gherao Parliament

Friends,

The All India Confederation of SC/ST Organizations was established in 1997 to ensure 5 anti-reservation orders issued by the DOPT. Our struggle was so vibrant that one of the rallies held on 11th December, 2000, is reckoned as the biggest rally after Independence. Another feather in the cap of our struggle was mobilization of lakhs of Dalits for conversion to Buddhism on November 4, 2001. When people hardly understood the implication of privatization, the Confederation raised the issue of private sector reservation. In 2006, reservation was given in higher education for OBCs although opposition was so huge and we immediately countered and as a result, it was successfully implemented. When Anna Hazare went on a fast in 2011 and the countrywide mood swung in his favour to bring about one Lok Pal Bill, even at the cost of sovereignty of the Constitution, the Confederation not only replied with matching demonstration but also presented their version of Bahujan Lok Pal Bill. When the Parliament took up this issue for debate, reservation for SC/ST/OBC and minorities in the Lok Pal Bill was considered as envisaged in the Bahujan Lok Pal Bill. Since 1997, the Confederation is the only organization in the country which has struggled and brought forth positive results whereas others have engaged themselves mostly in raising funds, holding seminars, public meetings and conducting cadre camps which are merely a theroretical exercise.

Reservation in private sector is a question of life and death. The UPA I was a little bit serious about it but is now dithering from its stand in UPA II. It is due to our weak support base. Our strength dwindled due to leg-pulling and selfish nature of employees. The Lucknow High Court gave a judgement on 4.1.2011 withdrawing reservation in promotions. We tried to muster the support of the U.P. employees but they refused to come forward and as a result, demand for reservation in promotions could not be fought. In the last paragraph of the judgement, the High Court held that if the State Government wants to continue reservation in promotions, it can do so by complying with the conditions of the M. Nagaraj judgement. In 2006, the Supreme Court gave a judgement in the case of M. Nagaraj, laying down the conditions of backwardness, adequate representation and efficiency. It is to be noted that the 77th, 81st, 82nd and 85th constituitional amendmentls never mentioned such conditions. Unfortunately, the U.P. Government preferred to file a suit in the Supreme Court and the Supreme Court, as it was expected, endorsed the Lucknow High Court verdict on 27.4.2012. The 117th Constitutional amendment which provides reservation in promotion, was passed in Rajya Sabha in last winter session in Parliament and it is yet to be passed by Lok Sabha. All these demands can be met provided our struggle gains the strength.

A Bill to make the Reservation Act is pending in the Parliament since 2004 and till date, it has not been passed. Due to privatization and globalization, social scenario has changed and those who have wealth and black money, control the media and political power. The ideological battle is coming to an end. In such a situation, if SC/ST and OBC people are aloof from economic empowerment, they will be relegated to further backwardness and slavery. For participation in economic empowerment, a strong movement like a political movement has to be launched like training, cadre camp, technological know-how, loans and subsidies facilities, net-working, demand and supply.

Despite the above problems, the exploitation of scavengers is quite acute and it is more due to contract system. There is no reservation in higher judiciary and Army. Geting caste certificate is a big problem and caste certificate of one State is not valid in another State thus depriving job opportunities. Currently we are facing the biggest challenge of Dalit unity and for this, we need to adhere to the ideology of Dr. Ambedkar and other social reformers. Those who are Ambedkarites, are duty bound to mobilize the less Ambedkerite castes like Balmiki, Khatick, Madiga, Passi, Dhanuk, Dhobi and Koli etc. This will not only increase our number but also strengthen us.

Kindly assemble in lacks at Ramlila Maidan, New Delhi on 25th November, 2013 at 11 AM and thereafter march to Jantar Mantar to gherao the Parliament.

By

Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar, Brahm Prakash, A. R. Koli (Delhi), Indraj Singh (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar (U.K.), D.K. Behera, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), B. Sagadevan (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Tarapad Biswas, Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Devi Prasad (Bihar), J. Shriniwaslu, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com